FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0073 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/05/2024 13:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/12/2023 **Date To (दिनांक तक):** 15/12/2023
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/05/2024 **Time (समय):** 10:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/05/2024 13:01:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KOTKASIM DISTRICT KHERTHAL, TIJARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GAJRAJ SINGH YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMJEEVAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1959 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	65 FF, OMAEX MHENDRA CITY, NEAR BHIWARI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE POST KHANPUR AHEER, KOTKASIM, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9799265858

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GYANIRAM BABA		पिता:Na Malum	1. BHUDHI BAWAL,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA
2	RAJARAM YADAV		पिता:Na Malum	1. NA MALUM,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA
3	VIKREM SINGH		पिता:Na Malum	1. NA MALUM,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA
4	RAMKISHOR MEENA		पिता:Na Malum	1. SDM KOTKASIM,ALWAR,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि तेरह लाख पचास हजार रूपये	13,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 13,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार से अर्ज है कि दिनांक 15.12.2023 को परिवादी गजराज सिंह यादव पुत्र श्री रामजीवन ग्राम पोस्ट खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल 65 एफएफ, ओमेक्स महेन्द्रा सिटी नियर भिवाडी जिला अलवर मोबाईल नम्बर 9799265858 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी जयपुर, विषयः-रिश्वत लेते हुऐ पकडाने के लिए, महोदय निवेदन है कि मेरे पिता श्री रामजीवन जी so रामधन जी द्वारा वर्ष 2010 मे उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम न्यायालय मे हमारी पुस्तेनी जमीन दुरूस्तीकरण हेतु वाद दायर किया था। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात यह वाद मेरे नाम से एवं दो भाईयों के नाम से स्थान्तरित हो चुका है। जिसका मुकदमा नम्बर 46 है। मैं इस मुकदमें मे पैरवी के सिलसिले मे कोटकासिम जाता रहता हूं। कोटकासिम मे SDM Office के पास दुकान करने वाले मेरे परिचित राजाराम यादव और बूढी बावल के रहने वाले ज्ञानी बाबा मेरे को कोटकासिम मे मिलते थे। इन दोनों का SDM कोटकासिम रामकिशोर मीणा के पास आना जाना था, इन्होने मुझे कहा कि हम एसडीएम साहब से तेरा फैसला करा देगें, दिनांक 12.12.2023 को राजाराम ने अपने मोबाईल नम्बर 9636496217 से मेरे मोबाईल नम्बर 9799265858 पर कॉल करके मुझे कहा कि आप कहां हो कोटकासिम आ जाओ, एसडीएम साहब बुला रहे है, आपके मुकदमें का काम कराते है। इसके बाद मैं भिवाडी से रवाना होकर कोटकासिम राजाराम की दुकान पर पहुंचा जहां पर राजाराम और ज्ञानी बाबा दोनो मुझे मिले, इन दोनो ने मुझे कहा कि हमारी एसडीएम साहब रामकिशोर मीणा से बात हो गई है आपके मुकदमें मे फैसला आपके हक में एसडीएम साहब कर देगें, उसके लिए आपको अभी 5 लाख रूपये देने पडेगे। उसके बाद हम आपको एसडीएम साहब से मिला देगें। मैने उसी समय मजबुरी के कारण मेरे स्तर पर थोडी देर मे पांच लाख रूपये लेकर राजाराम की दुकान पर आया और ज्ञानी बाबा की मौजुदगी मे पांच लाख रूपये राजाराम को दिये, इसके बाद ज्ञानी बाबा मेरे को साथ लेकर एसडीएम रामकिशोर मीणा के सरकारी निवास पर लेकर गया, जहां पर ज्ञानी बाबा ने एसडीएम से मेरा परिचय कराया और बताया कि इनके मुकदमें मे फैसला इनके हक मे करना है। इन्होने पांच लाख रूपये अभी राजाराम को इस काम के दे दिये है। एसडीएम रामकिशोर मीणा ने मुझे कहा कि आपके मुकदमें के फैसले से आपके पास छः बीघा जमीन आ जायेगी, इसलिए पांच लाख रूपये से कुछ नही होगा, आपको 12.50 लाख रूपये और देने पडेगे, मैने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा है तो एसडीएम रामकिशोर मीणा ने कहा फैसला कराना है तो 12.50 लाख और देने पडेगे और एसडीएम साहब ने हमारे सामने कॉल करके एक आदमी को बुलाया और कहा कि यह विक्रम सिंह है। आप फैसला कराने के लिए 12.50 लाख रूपये विक्रम को दे देना, आप लोग एक दुसरे के मोबाईल नम्बर ले लो। उसके बाद मैने और विक्रम ने एक दुसरे के मोबाईल नम्बर ले लिये और मैं ज्ञानी बाबा और विक्रम बाहर आ गये। बाहर आने पर विक्रम ने मुझे कहा कि आपके पास 12.50 लाख रूपये की व्यवस्था हो जाये तो मुझे कॉल कर देना, दिनांक 14.12.2023 को विक्रम के मोबाईल नम्बर 97722138166 से मेरे मोबाईल पर विक्रम ने कॉल करके कहा कि एसडीएम साहब पूछ रहे है क्या हुआ तो मैने कहा कि विक्रमजी 12.50 लाख रूपये ज्यादा है कुछ कम कराओ तो विक्रम बोला आप आ जाओ बैठ कर बात करेगें, इस प्रकार एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा मेरे मुकदमें मे फैसला करने के लिए अपने दलाल राजाराम और ज्ञानी बाबा के माध्यम से पांच लाख रूपये की रिश्वत ले चुका है और अब ज्ञानी बाबा व राजाराम और विक्रम के माध्यम से 12.50 लाख रूपये रिश्वत के और मांग रहा है। मैं एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा और इनके दलालों को रिश्वत नही देना चाहता और इनको पकडवाना चाहता हूं। मैने 12.12.2023 को राजाराम और 14.12.2023 को विक्रम के मोबाईल पर हुई वार्ताओं को मेरे मोबाईल मे रिकॉर्ड कर रखा है। उपरोक्त

तहरीरी रिपोर्ट अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक को, सुपुर्द की व परिवादी का परिचय करवाया। दरियाफ्त पर परिवादी ने यह प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखना बताया और परिवादी ने बताया कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी नही है और ना ही लेनदेन बकाया है। परिवादी श्री गजराज सिंह यादव से आईडी एवं एसडीएम कोटकासिम मे इनके विचाराधीन प्रकरण से संबंधित प्रति प्राप्त की। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक 12.12.2023 को राजाराम ने स्वंय के मोबाईल से मेरे मोबाईल पर कॉल करके मुझे कहा कि कोटकासिम आ जाओ एसडीएम साहब बुला रहे है तथा दिनांक 14.12.2023 को विक्रम ने स्वंय के मोबाईल से कॉल करके मुझे कहा कि एसडीएम साहब पुछ रहे है क्या हुआ तो मैने कहा कि 12.50 लाख रूपये ज्यादा है कुछ कम कराओं तो विक्रम बोला आ जाओ बैठ कर बात करेगें। इन दोनो वार्ताओं को परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा स्वंय के मोबाईल मे रिकॉर्ड होना बताया जिनकी पुष्टी हेतु उपस्थित परिवादी गजराज सिंह यादव के मोबाईल की ऑडियो फाईल में मौजुद इन दोनो रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी द्वारा इस संन्दर्भ मे दर्ज कराये गये कथन की पुष्टी होना पाया गया। परिवादी को इन वार्ताओं को स्वंय के मोबाईल मे सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। इस प्रकार परिवादी गजाराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मजीद दरियाफ्त, परिवादी के मोबाईल मे दर्ज वार्ताओं से प्रथम दृष्टया एसडीएम कोटकासिम श्री रामकिशोर मीणा द्वारा परिवादी गजराज सिंह यादव से उसके रेवन्यु संबंधी मुकदमें मे फैसला करने के लिए अपने दलालों राजाराम, ज्ञानी बाबा व विक्रम के माध्यम से 12.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टी होती है। अतः परिवादी गजराज सिंह यादव को एसडीएम कोटकासिम के पास जाकर स्वंय के कार्य के संबंध में वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया के बारे मे समझाईस की गई तो परिवादी ने बताया कि आज शुक्रवार होने के कारण एसडीएम साहब जयपुर आ जाते है, इसलिए वो सोमवार को ही मिलेगें। अतः आप सोमवार को प्रातः दस-ग्यारह बजे कोटकासिम आकर मेरे से सम्पर्क कर लेना। इस पर परिवादी गजराज सिंह यादव को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 18.12.2023 को मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुरेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विरेन्द्र कानि0 66 , राजेन्द्र सिंह कानि055 के निजी वाहन से मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, एसडी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी गजराज सिंह यादव से हुई वार्ता (वाटसअप कॉल) के मुताबिक एनएच 8 से होता हुआ कसौला चौक होता हुआ कोटकासिम के पास बुढी बावल के बाहर पहुंचा जहां पर परिवादी गजराज सिंह यादव उपस्थित मिला जिसने मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मै मेरे एसडीएम कोर्ट कोटकासिम मे विचाराधीन जमीन दुरूस्तीकरण के वाद जिस फैसला मेरे हक मे करने के लिए एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा जी मेरे से 12.50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है उससे मैं वार्ता करने जाउंगा तो एसडीएम रामकिशोर मीणाजी मेरे से डायरेक्ट बात नही करेगा क्योंकि पहले भी जब एसडीएम कोटकासिम ने मेरे से रिश्वत मांगी थी, उस समय बूढी बावल का रहने वाला जिनका नाम ज्ञानी जी है और उनको बाबा के नाम से जानते है मौजुद थे, उनके सामने ही एसडीएम कोटकासिम मीणाजी ने मेरे से 12.50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी इसलिए मैं मेरे साथ सत्यापन वार्ता करते समय ज्ञानी बाबा को उपरोक्त तथ्य बताये बिना ज्ञानी बाबा को एसडीएम से बात करके 12.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि मे से कुछ राशि कम करने की बात कहकर बात करने के लिए ले जाना चाहता हूं। क्योंकि उनकी उपस्थिति के बिना एसडीएम कोटकासिम मेरे से वार्ता नही करेगा। परिवादी गजराज सिंह यादव के द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों व परिस्थिति के अनुसार परिवादी को बूढी बावल के ज्ञानी बाबा को उपरोक्तानुसार सत्यापन वार्ता मे शामिल करने की सहमती प्रदान की। उपस्थित परिवादी गजराज सिंह यादव ने बताया कि बूढी बावल मे अन्दर की तरफ कोटकासिम रोड पर ज्ञानी बाबा का घर व खेत है, मैं उनके पास जाकर एसडीएम के पास चलने के लिए पूछकर आपके पास आता हूं। उसके बाद परिवादी गजराज सिंह यादव उपस्थित आया और बताया कि मैं ज्ञानी बाबा के पास गया और उनको कहा कि आप मेरे साथ एसडीएम साहब कोटकासिम के पास चलो मैं उनसे बात करके उनके द्वारा मांगी गई 12.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि को कम कराना चाहता हूं आप नही चलोगे तो आपके बिना एसडीएम साहब मेरे से बात नही करेगे, इस पर ज्ञानी बाबा ने एसडीएम के बारे मे मालूम करके मुझे कहा कि अभी एसडीएम मीणाजी ऑफिस मे नही है, कैम्प मे गये हुये है, उनसे बात हो जायेगी तो मैं आपको कॉल करके बुला लुंगा तब अपन एसडीएम के पास चलेगें। जिस पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ तथा परिवादी को हिदायत की कि हम आसपास ही है आपके पास ज्ञानी बाबा का फोन आये तो आप मुझे कॉल करके बताना ताकि सत्यापन वार्ता के लिए जाने से पूर्व आपको डिजीटल वाईस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाईस कर सुपुर्द किया जा सके। समय 06.15 पीएम पर परिवादी गजराज सिंह यादव ने मन उप अधीक्षक से वार्ता कर बूढी बावल से आगे टोल टैक्स पार कर कसौला चौक जाने वाले रास्ते पर उपस्थित आया तथा बताया कि ज्ञानी बाबा से मेरी बात हुई थी उन्होने बताया कि एसडीएम कोटकासिम मीणाजी कैम्प से वापिस ऑफिस नही आये है और सीधे ही किसी कार्यक्रम मे चले गये है इसलिए आज आपके काम के बारे मे एसडीएम के पास चलकर बात नही हो पायेगी। कल बूढी बावल मे कैम्प है वहां पर एसडीएम भी आयेगा तो वही पर आपके काम के बारे मे बात कर लेगें। इस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने, कल दिनांक 19.12.2023 को प्रातः उपस्थित मिलने व अन्य कोई तथ्य ज्ञात होने पर बताने की हिदायत कर रूखसत किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह मय श्री राजेन्द्र कानि के रवाना जयपुर हुये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री

विरेन्द्र कानि0 के पास ही एनएच 8 पर बावल चौक पर मुकीम हुआ। दिनांक 19.12.2023 को 12.05 पीएम पर मन उप अधीक्षक मय विरेन्द्र कानि0 के बूढी बावल के बाहर पहुंचा जहां पर परिवादी गजराज सिंह यादव उपस्थित मिला जिसने मन उप अधीक्षक को बताया कि ज्ञानी बाबा ने कल कहा था कि आज बूढी बवल मे ही कैम्प है जहां पर एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा साहब भी उपस्थित आयेगे जिनसे मेरे मुकदमें की बात होनी है इसके लिए मैं आपके पास आ रहा था तो बूढी बावल के बाहर ही मुझे ज्ञानी बाबा मिला गया जिन्होने मुझे कहा कि एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा से मेरी बात हो गयी, मैने आपके के लिए कहा था तो उन्होने बात करने के लिए दो दिन बाद गुरूवार को बुलाया है। इस पर परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अनुसार सत्यापन वार्ता दो दिन पश्चात दिनांक 21.12.2023 को होना सम्भावित है अतः परिवादी को गोपनीयता बरतने, इस संन्दर्भ मे कोई भी अन्य तथ्य ज्ञात होने पर अवगत कराने की हिदायत कर रूखसत किया गया। मन उप अधीक्षक मय विरेन्द्र कानि. वाहन के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर पहुंचा। दिनांक 21.12.2023 को समय 05.00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय राजेन्द्र सिंह कानि0, विरेन्द्र कानि0, के निजी वाहन से मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, एसडी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 07.15 एएम पर कसौला चौक एनएच 8 पर पहुंच कर परिवादी गजराज सिंह यादव से जरिये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बुढी बावल के बाहर मिलने की बताने पर 07.40 एएम पर उपरोक्त का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के बूढी बावल के बाहर मैन रोड पर पहुंचा जहां पर परिवादी गजराज सिंह यादव एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजुद मिला। उपस्थित परिवादी गजराज सिंह यादव ने मन उप अधीक्षक को स्वंय के साथ मौजुद व्यक्ति के बारे मे बताया कि यह मेरा भतीजा सतीश है इसको मैने मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे मे बताया है क्योंकि आपके 19 तारीख को जाने के बाद शाम के समय ज्ञानी बाबा का उसके मोबाईल नम्बर 7357770725 से मेरे पास फोन आया था और बाबा ने मेरे को कहा कि मेरी बात एसडीएम से और उसके दलाल दोनो से हो गयी है और उन्होने तेरा फैसला करने के लिए राशि कम करके 8.50 लाख रूपये लेने की बात कही है तो मैने बाबा को कहा कि यह तो ज्यादा है बाबा ने कहा कि एसडीएम ने कहा है कि 8.50 से एक रूपया भी कम नही लुंगा, नही तो तेरे पहले दिये हुये पैसे (पांच लाख रूपये) वापिस ले जाना। इस पर मैने बाबा को कहा कि आप मेरी एक बार बात करा दो एसडीएम से तो बाबा ने कहा कि तेरे से एसडीएम बात नही करेगा और ना ही मिलेगा। मैने बाबा को कहा कि एक बार बात करा दो, मैं कुछ कम करने के लिए कहुंगा तो बाबा ने मुझे 20 तारीख को 11 बजे आने के लिए कहा है कि आ जाना, बात कर लेना अगर वो करे तो। इसके बाद 20 तारीख को मेरे मोबाईल पर राजाराम के मोबाईल से कॉल आया और राजाराम ने मेरी ज्ञानीराम बाबा से बात कराई तो बाबा ने मुझे कहा कि आपने कल कहा था ना मुझे एसडीएम से मिलना है तो मैं आज सुबह राजाराम के पास आया और एसडीएम के पास जाकर आये तो एसडीएम ने कहा कि उसने वो खुद 12 लाख की हां करके गया था अब 8.50 लाख रूपये से दस पैसे भी कम नही करूंगा, फैसला मैने दे दिया है अगर वो 8.50 लाख रूपये नही देगा तो फैसले मे डीएलसी रेट भरने का नोट लगा जावुंगा जिससे आपको 25 लाख रूपये जमा कराने पडेगें, इसके बाद मैने बाबा को कहा कि एसडीएम मेरी बात नही समझा, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अब मेरा भाई मेरे उपर विश्वाश नही कर रहा है इसलिए मुझे एसडीएम से मिलना है मेरे को कन्फर्म करने की जरूरत नही है एसडीएम मेरे भाई के बच्चे के सामने बोल दे तो मैं दे दुंगा 8.50 लाख रूपये। इसके बाद ज्ञानी बाबा ने राजाराम से मेरी बात कराई तो मैने राजाराम को भी कहा कि मैने मेरे भाई को बताया कि 12.50 लाख रूपये और देने पडेगे तो मेरे भाई की हार्टबीट तेज हो गयी और उसको अस्पताल भर्ती करना पडा, अब मेरा भाई मेरे उपर विश्वास नही कर रहा और वो कहता है कि मेरे सामने एसडीएम से 8.50 लाख रूपये की कहलावो तभी मैं पैसा दुंगा। अब मेरा भतीजा आया हुआ है उसके सामने एसडीएम से कहलवा दो, मैं 8.50 लाख रूपये दे दुंगा तो राजाराम ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, एसडीएम ने दुबारा डिमाण्ड (पांच लाख लेने के बाद) 12.50 लाख की है वो बहुत गलत है तब मैने कहा कि यही तो बात है इसलिए तो मैं कह रहा हूं मेरे भतीजे के सामने एसडीएम से बात करा दो, मैं 8.50 लाख दे दुंगा तब राजाराम ने कहा कि तो ठीक है आपके भतीजे के साथ एसडीएम से मिला देगें तो ज्ञानी बाबा ने कहा कि आ जाना तु भतीजे को लेकर एसडीएम के पास चल चलेगें, मैं एसडीएम से इतना कहला दुंगा कि इस फैसले में डीएलसी से 25 लाख रूपये बनते है इसलिए 12 तो देने पडेगे। इसके बाद मैने कहा कि फिर ये कहलवा देना कि बाबा के कारण रियायत करके 8.50 लाख रूपये देने पडेगें। इस पर बाबा ने कहा कि ठीक है तु कल सुबह जल्दी मेरे पास भतीजे के साथ आ जाना। अपन एसडीएम के पास चल चलेगें। यह बात मैने कल आपको वाटसकॉल से बताई थी तथा परिवादी गजराज सिंह यादव ने बताया कि बाबा और राजाराम के इन दोनो फोन कॉल को मैने मेरे फोन मे रिकॉर्ड कर रखा है। इस पर परिवादी के मोबाईल से इन दोनो मोबाईल कॉल की रिकॉर्डिग सुनी तो परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्टी होने पर परिवादी को देानो रिकॉर्डिग सुरक्षित रखने की हिदायत की। उपस्थित परिवादी ने बताया कि मैने बाबा और राजाराम से हुई बातों के अनुसार एसडीएम के पास वार्ता करने के लिए जाने के लिए मेरे भतीजे को बुलाया है। इस पर उपस्थित व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम सतीश पुत्र महादेव सिंह यादव उम्र 43 साल, निवासी बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर मोबाईल नम्बर 9799748463 बताया और परिवादी गजराज द्वारा कार्यवाही की जानकारी होना तथा इनके साथ सत्यापन वार्ता हेतु जाने की सहमती/इच्छा जताई,उपस्थित परिवादी ने बताया कि

राजाराम और बाबा से हुई बातों के अनुसार एसडीएम से वार्ता करने जाने के लिए मेरे भतीजे की आवश्यकता होने के कारण मेरा भतीजा (मेरे भाई कंवर सिंह का बच्चा रिंकु बाहर एयरफोर्स मे सर्विस करने के कारण आ नही सकता इसलिए मैने सतीश को बुलाया है जो मेरे साले का लडका भतीजा है) सतीश मेरे साथ जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एव परिस्थिति के अनुरूप परिवादी गजराज सिंह यादव को एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के पास ज्ञानी बाबा को साथ लेकर सत्यापन वार्ता हेतु जाने की कार्यवाही में परिवादी गजराज सिंह यादव के भतीजे सतीश को शामिल किया तथा स्वंय के पास से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकाल कर उसकी इस्तेमाल प्रक्रिया परिवादी गजराज सिंह यादव को समझाईस कर इसमे नया एसडी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द किया व हिदायत कर परिवादी व सतीश को सत्यापन वार्ता हेतु समय करीब 07.55 एएम पर परिवादी की कार से रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी की गाडी के पीछे पीछे रवाना हुये। रास्ते में परिवादी गजराज सिंह यादव बूढी बावल से कोटकासिम जाने वाले रास्ते पर पहुंच कर एक मकान/खेत के आगे रूका व परिवादी गजराज उतर कर अन्दर गया तथा अन्दर से एक वृद व्यक्ति को साथ लेकर आया व अपनी गाडी मे बैठाकर कोटकासिम के लिए रवाना होकर कोटकासिम मैन रोड पर बस स्टेण्ड के पास रूका जहां पर गाडी मे से उतरकर वृद्व व्यक्ति जो परिवादी के साथ आया था। वहीं पास से सब्जी की थैली और एक केतली लेकर सामने स्थित सरकारी क्वार्टर मे जाता दिखा तथा परिवादी व उसका भतीजा सतीश वही गाडी के बाहर मैन रोड पर खडे रहे। करीब 15-20 मिनट बाद वृद व्यक्ति वापिस आया और वो परिवादी के पास आकर बात की तथा उसके बाद तीनों गाडी मे बैठकर वापिस बूढी बावल की तरफ रवाना हुये। जिस पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के वहीं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ तथा इस दौरान गोपनीय रूप से वृद व्यक्ति जो सरकारी क्वार्टर मे गया था के बारे मे मालूम किया तो ज्ञात हुआ कि यह क्वार्टर एसडीएम कोटकासिम का सरकारी निवास स्थान है। तत्पश्चात समय करीब 09.15 एएम पर परिवादी गजराज सिंह यादव ने वाटसअप कॉल कर अवगत कराया कि मैने ज्ञानी बाबा को उसके घर पर छोड दिया है। आप कोटकासिम से बूढी बावल रोड पर टोल के पास मिलो। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के बूढी बावल रोड पर स्थित टोल पर पहुंचा जहां पर परिवादी गजराज सिंह यादव व उसका भतीजा मौजुद मिला। परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द अवस्था मे मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं व मेरा भतीजा आपके पास से रवाना होकर बूढी बावल से ज्ञानी बाबा को साथ लेकर कोटकासिम पहुंचे जहां पर ज्ञानी बाबा ने बस स्टेण्ड के पास गाडी रूकवा कर कहा मैं एसडीएम साहब के पास जाकर उनसे बात करके आपको बुलाता हूं तब तकं आप यही पर इन्तजार करो तब मैं व सतीश वहीं मैन रोड पर खडे हो गये और ज्ञानी बाबा सब्जी व एक केतली लेकर सामने स्थित सरकारी क्वार्टरों की तरफ चला गया तथा करीब 20 मिनट बाद ज्ञानी बाबा वापिस आया और बोला कि एसडीएम ने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं नही मिलुगा, क्या पता कोई रिकॉर्डिंग कर ले और मेरे को मरा दे। इस पर मैने कहा कि मेरा भाई विश्वास नही कर रहा, आप एक बार मुझे न सही मेरे भतीजे को अकेला ले जाकर एसडीएम से मिला कर बात करा दो तो बाबा ने मेरे भतीजे की उपस्थिति में काफी विस्तृत बात की और बोला कि भाई देख परसो तो मेरे को एसडीएम ने कहा था कि बुला ले पर आज जब मैं उसके पास गया तो पहले बोला बुला लो उसके बाद उसकी घर वाली जो सांगानेर मे प्रिसीपल है आई हुई है वो बाहर की तरफ आई तो उसके साथ अन्दर चला गया और बाद मे आकर एसडीएम बोला कि मैं किसी से नही मिलुंगा क्या पता कोई रिकॉर्डिंग कर ले, मोबाईल से विडियो बना ले, मै तो बरबाद हो जावुंगा फिर मेरे भतीजे को बाबा ने कहा कि देख भई विश्वास तेरे को करना पडेगा, मेरे उपर विश्वास कर, पांच तुम्हारे पहले आये है, वो मैने पुरे दे दिये अब 8.50 लाख रूपये एसडीएम और मांग रहा है और वो मिलेगा नही और एसडीएम ने कहा है कि फैसला तो मैने आपने गारण्टी दी थी तभी ही लिखा दिया था साईन नही किये है और 8.50 लाख रूपये देवो और साईन करा लो नही तो एसडीएम यह भी कह रहा है कि डीएलसी रेट का नोट फैसले मे लगा दुंगा तो 25 लाख रूपये जमा कराने पडेगें। इसलिए तुम सोच लो विश्वास करके 8.50 लाख दे दो, वैसे भी फैसले से 6 बीघा जमीन आयेगी, यह मानो एक बीघा जमीन गई, पांच तो बचेगी और इस बारे मे बाबा ने मेरे से और भतीजे से काफी बाते की है जो मैने वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की है। इसके बाद हमने ज्ञानी बाबा को उसके घर छोड दिया था। उसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकॉर्डर को चलाकर वार्ता को सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टी हुई। अब तक के तथ्यों के अनुरूप एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा परिवादी गजराज सिंह यादव के प्रकरण में फैसला करने और उसमें डीएलसी रेट से राशि जमा कराने का नोट नही लगाने के लिए पूर्व मे अपने दलालों के माध्यम से लिये गये पांच लाख रूपये की रिश्वत राशि के अतिरिक्त 8.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि दलालों के माध्यम से प्राप्त करने के तथ्य परिलक्षित होते है परन्तु एसडीएम कोटकासिम परिवादी गजराज सिंह यादव अथवा उसके भतीजे के समक्ष किसी प्रकार की कोई वार्ता इस संन्दर्भ मे नही करना चाहता है अतः परिस्थिति के अनुरूप उपस्थित परिवादी गजराज सिंह यादव ने कहा कि आप एसडीएम के दलाल ज्ञानी बाबा, राजाराम, विक्रम मेरे से 8.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए मुझे फोन करेगें तो मैं उनको पैसो की व्यवस्था नही होने तथा मेरे भाई अथवा भतीजे को रूबरू कर एसडीएम से रिश्वत राशि के बारे मे तसल्ली देने के लिए कहुंगा तथा इस बारे मे जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवा दुंगा। परिवादी गजराज सिंह यादव को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के उच्चाधिकारियों के हालात निवेदन कर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर पहुचा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर

को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। दिनांक 14.02.2024 को समय करीब 01.00 पीएम पर परिवादी श्री गजराज सिंह यादव उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि पिछले दिनों मे बाबा ज्ञानीराम ने शुरू में कई बार मेरे को फोन करके एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा को दी जाने वाली 8.50 लाख रूपये रिश्वत राशि के लिए तकाजा किया परन्तु मैं उसे मेरे भाई/भतीजे को रूबरू कराने और पैसे की व्यवस्था नही होने की बात कहता रहा। इसके बाद मुझे पता चला कि एसडीएम कोटकासिम ने मेरे प्रकरण मे बैकडेट में फैसले पर हस्ताक्षर कर दिये है और उसमे डीएलसी रेट जमा कराने का नोट लगा दिया है। इससे परेशान होकर मैने कई बार बाबा ज्ञानीराम को एसडीएम के पास चलकर मेरे पांच लाख रूपये एसडीएम से वापिस दिलाने की बाते की तो ज्ञानीराम मेरे को बहाना बनाकर टालता रहा। दिनांक 23.01.2024 को मैने ज्ञानीराम के मोबाईल पर कॉल करके कहा कि आप एसडीएम के पास चलो और मेरे पांच लाख रूपये वापिस दिलाओ तो ज्ञानीराम ने मुझे कहा कि तुने पांच लाख रूपये राजाराम को दिये थे, राजाराम से बात कर। इसके बाद मैने राजाराम के मोबाईल पर बात की और उसको कहा कि बाबा बोल रहा है कि पांच लाख रूपये एसडीएम को देने के लिए मैने आपको दिये थे, आप मेरे पांच लाख रूपये दिलाओ तो राजाराम ने मेरे से कन्नी काटते हुये कहा कि मैने बिच मे आपके लिए काम किया अब मुझे इस मैटर से कोई लेनादेना नही है आप जानो और बाबा जाने। इस प्रकार ज्ञानीराम बाबा और राजाराम दोनों ने एसडीएम कोटकासिम के लिए ली गई पांच लाख रूपये की राशि वापिस दिलाने से मना कर दिया तो मैं इन बातों से परेशान होकर दिनांक 24.01.2024 को करीब 3.30 बजे एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के मोबाईल नम्बर 9829086213 पर मेरे मोबाईल से कॉल करके कहा कि एसडीएम साहब मैं गजराज यादव बोल रहा हूं खानपुर से मेरा केस है ना आपके पास पांच लाख रूपये दिये है ना मैने आपको तो एसडीएम साहब ने गाली देते हुये मुझे कहा कि किसे दिये है पांच लाख तो मैने कहा कि ऐसे गाली मत बको आप, मेरे पैसे वापिस दो फिर उन्होने फोन काट दिया। उसके बाद मैने एसडीएम को मेरे मोबाईल से वाटसअप मैसेज किया कि एसडीएम साहब आप भी ऑफिसर हो, मैं भी ऑफिसर हूं यह क्या भाषा है मैने पांच लाख दिये है काम नही किया तो मेरे पैसे वापिस देने पडेगे नही तो मैं आपके ऑफिस के आगे आत्मदाह करूंगा और दुसरे मैसेज मैने एसडीएम को लिखा कि आपने अपने घर पर मेरे से 12.50 लाख रूपये मांगे थे उनकी रिकॉर्डिंग भी है और पांच लाख रूपये जो दिये थे उनके नम्बर भी है, आप मेरे पांच लाख रूपये वापिस करो नही तो मैं सारी रिकॉर्डिंग लेकर कलेक्टर साहब के पास जावुंगा। इसके बाद दिनांक 25.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा का मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि तुने ये क्या कर रखा है कई जगह लफडा फैला रखा है, तुने पांच दिये थे ना उसमे से मेरे 35-36 हजार रूपये जो सब्जी घी वगैरहा मे खर्च हो गये तो पच्चास हजार रूपये काटुंगा और तेरे को 4.50 लाख रूपये ला दु क्या तो मैने कहा कि आपके पास एसडीएम का फोन आया था क्या तो बाबा ने कहा कि मैने तेरे को मना कर दिया था ना कि मैं नही चलुंगा पैसे दिलाने और मैं कुछ नही कहुंगा उसके बाद मेरे बच्चे ने भी कहा कि इस मैटर को सल्टाओ और एसडीएम साहब ने भी फोन किया था कि उसको बुला लो और मन मुटाव मत रखो पैसे वापिस दे दो अब मैं तेरे को 4.50 लाख रूपये ला दुंगा पर तेरे को सारी रिकॉर्डिग वगैरहा मिटानी पडेगी। एसडीएम का एक आदमी कल 4.50 लाख रूपये लेकर आयेगा तु राजाराम को लेकर प्लाट पर आ जाना। इसके बाद 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा का दो तीन मेरे मोबाईल पर फोन आया जिसमे बाबा ने मेरे को कहा कि तु अब तक आया नही मैने कहा कि धुन्ध हो रही है,आ ही रहा हूं एसडीएम के आदमी आ गये क्या पैसे लेकर तो बाबा ने कहा कि आ जायेगे तु तो आ जा कुए पर आ जा। इसके बाद मैं करीब 1 बजे ज्ञानीराम बाबा के बूढी बावल स्थित खेत/कुए पर गया जहां पर बलवन्त यादव उर्फ बिलु ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम ने ज्ञानीबाबा के सामने मुझे 4.50 लाख रूपये दिये और कहा कि एसडीएम साहब ने भिजवाये है पर आपको आपके मोबाईल की रिकॉर्डिंग और मैसेज डिलीट करने पडेगें। इस पर मैने 4.50 लाख रूप्ये ज्ञानीबाबा की उपस्थिति में बिल्लु से प्राप्त कर लिये और इस दौरान बिल्लु ने मेरे मोबाईल के वाटसअप से एसडीएम कोटकासिम को किये गये वाटसअप मैसेज को डिलीट कराया था। मैने बिल्लु को रिकॉर्डिग डिलीट करने का आश्वासन दिया था परन्तु मैने यह रिकॉर्डिंग डिलीट नही की थी। ज्ञानीराम बाबा, राजाराम, एसडीएम व विक्रम सिंह से मेरे प्रकरण से संबंधित वार्ताएं मेरे द्वारा मेरे मोबाईल में रिकॉर्ड की गई थी जो मेरे मोबाईल मे सुरक्षित है तथा इन मोबाईल वार्ताओं की एक सीडी भी मैं साथ लेकर आया हूं। उपस्थित परिवादी गजराज सिंह यादव ने कहा कि मेरे पास जो भी रिकॉर्डिग और तथ्य है उनके अनुसार मैं आगे कार्यवाही कराना चाहता हूं। इस प्रकार परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा बताई गई उपरोक्त मोबाईल वार्ताओं को बारी बारी परिवादी के मोबाईल व परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी से सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी होती है। परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा दावा संख्या 46 रजू दिनांक 19.04.2010 में दिनांक 18.12.2023 के निर्णय की फोटोप्रति प्रस्तुत की जो रामकिशोर मीणा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा दिया गया है। निर्णय की प्रति को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।
उपरोक्तानुसार परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा अपने मोबाईल में राजाराम, विक्रम, ज्ञानीराम बाबा,एसडीएम रामकिशोर मीणा से मोबाईल पर हुई वार्ताएं जो परिवादी के मोबाईल मे रिकॉर्ड है तथा इन वार्ताओं से संबंधित सीडी जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है में दर्ज है को प्रकरण मे अग्रीम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर वार्ताओं को बतौर साक्ष्य प्राप्त करना है जिसके लिए परिवादी गजराज सिंह यादव ने अपनी सहमती

प्रदत्त की है अतः स्वतंत्र गवाह श्री डॉ0 नरेश कुमार सक्सेना व डॉ0 श्री रामजीलाल मीणा वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग, लालकोठी टोंक रोड जयपुर को तलब कर गजराज सिंह यादव परिवादी से परिचय कराया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों से अवगत करवा कर परिवादी गजराज सिंह यादव के मोबाईल तथा सीडी मे दर्ज वार्ताओं को परिवादी व गवाहान के समक्ष कार्यालय लेपटॉप की सहायता से सुना गया तो इसमें परिवादी द्वारा बताई गई कॉल रिकॉर्डिंग दर्ज होना पाया गया। सीडी मे दर्ज मोबाईल कॉल रिकॉर्डिंग फाईलों का परिवादी गजराज सिंह यादव के मोबाईल से मिलान किया गया तो सीडी मे दर्ज कॉल रिकॉर्डिंग परिवादी के मोबाईल मे माई फाईल्स के इन्टरनल स्टोरेज में रिकॉर्डिंग के कॉल फोल्डर में नियत दिनांक पर दर्ज है। बाद मिलान परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी में दर्ज कॉल रिकॉर्डिंग की शब्द बशब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। वार्ताओं को सुनकर गवाहान के समक्ष परिवादी गजराज सिंह यादव ने गजराज के सामने दर्ज वार्ता की आवाज स्वंय की, बाबा के सामने दर्ज वार्ता की आवाज बाबा ज्ञानीराम की, राजाराम के सामने दर्ज वार्ता की आवाज राजाराम की, विक्रम के सामने दर्ज वार्ता की आवाज विक्रम की, एसडीएम रामकिशोर मीणा के सामने दर्ज वार्ता की आवाज एसडीएम कोटकासिम श्री रामकिशोर मीणा की होने की पहचान की। इसके पश्चात् परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कॉल रिकॉर्डिंग सीडी से अनुसंधान अधिकारी हेतु कार्यालय से एक खाली सी.डी. की व्यवस्था की जाकर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री गजराज सिंह यादव के समक्ष इस सीडी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी की बर्न/राईट कर उसमे कॉल रिकॉर्डिंग का होना सुनिश्चित कर खुली रखी गई तथा परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत मूल सीडी की लेपटॉप की सहायता से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट लिया जाकर प्रिन्ट पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर मूल सीडी को गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्ड मोहर कर मार्क A दिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मोबाईल फोन सैमसंग गैलेक्सी एफ 41 मॉडल नम्बर SM-F415F/DS सिरियल नम्बर RZ8N92XZDFW आईएमईआई (स्लॉट 1) 351666441375139 व आईएमईआई (स्लॉट 2) 355622691375135 को परिवादी से अनलॉक करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत कॉल रिकॉर्डिंग का मूल सोर्स होने के कारण उक्त मोबाईल को एक कागज के लिफाफे मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्डमोहर किया जाकर मार्क B अंकित किया जाकर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उपस्थित गवाहान श्री डॉ0 नरेश कुमार सक्सेना व डॉ0 श्री रामजीलाल मीणा वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग, लालकोठी टोंक रोड जयपुर के समक्ष परिवादी श्री गजराज सिंह यादव व परिवादी के भतीजें सतीश की प्राईवेट व्यक्ति ज्ञानीराम बाबा के मध्य दिनांक 21.12.2023 को हुई वार्ताएं जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखी गई थी। उक्त एसडी कार्ड लगे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय कम्प्यूटर/लेपटॉप की सहायता से सुना गया तो रिकॉर्डशुदा वार्ता में परिवादी गजराज सिंह यादव व परिवादी के भतीजे सतीश की संदिग्ध आरोपी श्री ज्ञानीराम बाबा के द्वारा रिश्वत मांग के संबंध मे की गई वार्ता की शब्द बशब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। वार्ताओं को सुनकर गवाहान के समक्ष परिवादी गजराज सिंह यादव ने परिवादी के सामने दर्ज वार्ता की आवाज स्वंय की, सतीश के सामने दर्ज वार्ता की आवाज अपने भतीजे सतीश की, बाबा के सामने दर्ज वार्ता की आवाज बाबा ज्ञानीराम की होने की पहचान की। तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वतंत्र गवाहान व परिवादी द्वारा स्वीकार किया। रिकॉर्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु कार्यालय से तीन सीडी मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से वाईस रिकॉर्डर मे लगे मूल सोर्स एसडी कार्ड से तीन सीडी तैयार की जाकर तीनों सिडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क A-1, A-2, को अलग-अलग सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर कर थैली पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क A-3 (अनुसंधान अधिकारी हेतु) खुली रखी गई। एसडी कार्ड sandisk ULTRA 32 जीबी (मूल सोर्स) जिसमें प्रकरण से संबंधित रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित वार्ताएं दर्ज हैं को एक प्लास्टिक के कवर में रखकर खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधित परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-C दिया जाकर जप्त किया गया। सील्डशुदा आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 21.12.2023 तक की गई कार्यवाही के दौरान आये तथ्यों तथा उपरोक्त शिकायत को डवलप करने के लिए युनिट प्रभारी तथा उच्चाधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त मामले में एसडीएम कोटकासिम श्री रामकिशोर मीणा द्वारा अपने दलालों ज्ञानीराम बाबा, विक्रम, राजाराम के द्वारा परिवादी गजराज सिंह यादव के एसडीएम कोर्ट कोटकासिम में विचाराधीन प्रकरण में परिवादी के पक्ष में निर्णय करने के लिए पूर्व मे पांच लाख रूपये लेने के उपरान्त प्रारम्भ मे 12.50 लाख रूपये की मांग की गई तथा उसके पश्चात 8.50 लाख रूपये परिवादी से रिश्वत की मांग करने की पुष्टी होने पर ज्ञानीराम बाबा के मोबाईल नम्बर 7357770725 व विक्रम के मोबाईल नम्बर 9772138166 को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अन्तावरोध पर लिया गया। अन्तावरोध पर लिये गये उक्त दोनों मोबाईल नम्बर ज्ञानीराम बाबा के मोबाईल नम्बर 7357770725 की 17 कॉल व विक्रम के मोबाईल नम्बर 9772138166 की 04 कॉल कुल 21 कॉल मय वाईस क्लिप्स सीडी व हैश रिपोर्ट के श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस,

तकनीकी अनुभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 19 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा प्राप्त कर सुनी गई जिनका विवरणः-

1. दिनांक 06.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से एसडीएम का फोन आने के बारे मे पुछता है। 2. दिनांक 10.01.2024 ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से एसडीएम से बात होने के बारे मे पुछता है तो ज्ञानीराम कहता है कि वो फोन नही उठा रहा और बीच वाले ने फोन उठाया था और कहा कि मैं अपने आप बात कर लुंगा तुम मत करो।3. दिनांक 12.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें राजाराम ज्ञानीराम बाबा को कहता है कि गजराज बता रहा था बाबा बिमार है तो ज्ञानीराम बाबा कहता ह कि इसका क्या करे तो राजाराम द्वारा कहा जाता है कि भई तेरी बात जो है काम नही हुआ तो अमानत वापिस दे दो नही तो ये धरती हिलायेगा ससुरा, आज अखबार मे तहसीलदार के जाने की बात लिखी है जेल जायेगा ये भी ये तो पागल हो रखा है आगे से इसका काम नही करेगे।4. दिनांक 16.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से एसडीएम के पास ऑफिस या घर पर चलने की बात कहता है तो ज्ञानीराम बाबा कहता है कि आज नही कल चलेगें कल आ जाना। 5. दिनांक 16.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें राजाराम ज्ञानीराम बाबा को कहता है कि कैसी तबियत है तो ज्ञानीराम कहता है कि गजराज कल आने की कह रहा है आज भी आया था मैने मना कर दिया तो राजाराम कहता है कि साले को धमकाओं कि भई या तो पैसा दे दे हमको क्यो बेहुदा क्यो करा रहा है।6. दिनांक 17.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक)के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से उसके घर पर आने की बात कहताहै।7. दिनांक 23.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से कहता है कि बाबा उसकी ऑफिस चलना है पैसे मांगने ये भाग जायेगा इसका ट्रांसफर हो जायेगा तो ज्ञानीराम बाबा परसो चलने की बात कहता है जिस पर गजराज द्वारा कहा जाता है कि ये चला जायेगा, अपना पैसा रूल जायेगा, कल ही चलना है जिस पर ज्ञानीराम बाबा द्वारा कहा जाता है कि राजाराम ने मना कर दिया मेरे बस की अब नही है तो गजराज द्वारा कहा जाता है कि पैसा कैसे आयेगा ये बताओ आप, ये बात थोडी हुई आपकी पैसा रूलवाणा है क्या आपको चलना पडेगा मैं कह रहा हूं चलना पडेगा तो ज्ञानीराम बाबा द्वारा कहा जाता है कि मेरी बस की कोनी, मैं ना जाउं तो गजराज द्वारा कहा जाता है कि पैसा तो लाके दो तो ज्ञानीराम बाबा द्वारा कहा जाता है कि मै ना ल्याव तु जाने वो जाने तो गजराज कहता है कि नही कौन जाने आप दे के आये हो ये तो गलत बात हो गयी ना पैसे कैसे आयेगे बताओ तो ज्ञानीराम कहता है कि गलत हो सही हो मैं कह आयो राजाराम जी को फिर गजराज कहता है ये तो कोई बात थोडे है मेरा पैसा तो दो भाई पांच लाख रूपये मैं ना जाणु मेरे पैसे दो पांच लाख भई कल मैं नही जानता फिर ज्ञानीराम कहता है कि मै नही जावुं किथे भी मेने तेरा रूबरू करा दिया था मेरो देणों ना मेरो लेणो 8. दिनांक 25.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें ज्ञानीराम बाबा राजाराम को कहता है कि दिमाग खराब हो गया क्या गजराज का तो राजाराम कहता है कि इसको डोलने दो पागल है मेरे पास परसों दिपचंद खारिया, भम्मण और रामेत को फोन आया था और मेरे पास राजु भी आ लिया भम्मण ने मेरे से बात करी मैने कहा जी बात ऐसी है कि इनकी बात हुई थी खातेदारी की मैने इनकी बात करा दी, इसका पैसा पंहुच गया फिर इसका खातेदारी मिलने के लिए 25 लाख रूपये भरने की बात थी तो ये पैसे देने की हां कर आया और बाद में पैसा नही दिया और मेरे विश्वास मे फैसला लिख दिया और नोट लगा दिया पैसा जमा कराया जाये तो वो कौनसा गलत कर दिया,इसने अपनी जबान से हां करी थी और जिस दिन तारीख हुई थी इसके सामने ही पैसा चला गया था और आदमी साथ गया था थेला लेकर और वापिस खाली आया था बात खत्म हुई ये खुद बात करके आया था और हां क्यों करके आया हमसे कह देता कि भई मेरा तो जो पैसा दिया है उसमे ही कराओ पहले तो हां कर आया और अब चोर पणा दिखा रहा है फिर वो जकोपुर वाला भी आ गया और एसडीएम साहब से बोला कि ये एन्टीकरप्शन मे भी हो आया पार्टी घुम गई आपके खिलाफ ध्यान रखना ये मेरे पास कल आया था और यु कह रहा था कि भई मैने पैसे दिये है मुझे कन्फर्म करा दो चुतिया समझा है क्या मतलब तु गवाही चाहा रहा है परसो मैं एसडीएम साहब के पास गया बात करने तो मुझे मना कर दिया और मेरी बैठक भी खराब करा दी। अधिकारी के पास बैठने का मौका भी नही रहा बदनामी करा दी मैने इसको बोला तु एन्टीकरप्शन मे घुम आया और हमसे गवाही चाह रहा है पैसा गाय के पास गया फिर तेरा काम भी हो गया मैने कही पीछे जो तु पच्चीस लाख भरना था उसमे 12 की तु हां करके आया मैने तो हाथ पांव जोडकर आठ पर ला दिया तु वो भी मना कर रहा है कि ये ससुरा आप कह रहा है छः भी दे देता तो इसका काम निपट जाता। एसडीएम साहब को मैने कह दिया आप ऐसे घबराना मत कतई मत घबराओ तो राजाराम ने कहा कि

हमको और खराब करेगा तेरे एसडीएम को बोल। मैने इसको कहा कि मुझ बुढे आदमी को धक्के पडेगें तेरी वजह से तुने ऐसा काम किया कि मेरी राम राम और खत्म करा दी। इस वार्ता मे राजाराम और ज्ञानीराम बाबा कहते है कि हम तो इसके साथ ही डोल रहे है हमने कुछ नही खाया पीया। ज्ञानीराम बाबा कहता है कि मैने वकील से भी बात की थी वो बोला कि फैसला लिख दिया सारा, साईन कर दिया था जब ये बात करके आया था और नोट भी नही लगाया था पर जब उसने पैसे नही दिये तब लगाया नोट, फैसले में कर दी छः बीघा जमीन मैने राजु से कही कि खुद बदनाम हो रहा है दुसरे को भी बदनाम कर रहा है फिर राजाराम ने कहा कि दिपचंद खारिया ने मेरे को फोन किया और एसडीएम साहब को भी फोन किया, एसडीएम साहब ने कहा कि खानपुर की वो खातेदारी की फाईल शायद मैने वो कर दी। ज्ञानीराम बाबा कहता है कि आज आयेगा वो मैं कह दुंगा मै नही जावुंगा तु जाने तेरा काम जाने, एसडीओ साहब ने मेरे को धक्का दे दिया मैं कहीं नही जावुंगा मैं न तेरे खिलाफ बोलु न एसडीएम के खिलाफ, ये मेरे को पुलिस मे बंद करायेगा। 9. दिनांक 25.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से कहता है उससे पैसे मांगो आज मैं आपके पास आता हूं तो ज्ञानीराम बाबा द्वारा कहा जाता है कि मैं कहीं नही जावुंगा आपने राजाराम को दिये थे मैने न तेरा पैसा लिया और न दिया अभी राजाराम से मेरी बात हुई थी तो गजराज द्वारा कहा जाता है कि मैने पैसे आप देानो को ही दिये थे तो ज्ञानीराम द्वारा कहा जाता है कि मुझे नही दिये राजाराम को दिये थे, मैने राजाराम से तेरी बात कराई थी और राजाराम कह रहा था कि कभी खारिया का फोन कराता है कभी जब्बर का फोन कराता है मेरे पास भी फोन करवा रहा है मैने मना कर दिया कि फैसला करवा दिया तो गजराज कहता है कि कोई फैसला नही हुआ आप मेरा पैसा लाके दो तो ज्ञानीराम कहता है कि मैने न दिये न लेउ मैने राजाराम को दिये थे राजाराम को कह दी। 10. दिनांक 25.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें ज्ञानीराम गजराज से कहता है कि क्या कोड कर रखा है तुने कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है अब तु क्या चाहता है तो गजराज कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि पैसे उसको दिये है उससे मांगो मेरे साथ चलो तो ज्ञानीराम कहता है कि मैने जो 35-36 हजार रूपये खर्च किये है ना वो काटुंगा तेरे साढे चार बचे मैने घी सब्जी, चाय पत्ती में खर्च किये है वो काटुंगा और तेरे लिए साढे चार ला दु तो गजराज कहता है कि हां साढे चार ला दे तो ज्ञानीराम द्वारा कहा जाता है कि मेरी बात सुण तुझे इस सबसे मना करना पडेगा तो गजराज कहता है कि मेरी बात सुणो आपने वहां दिया है कि नही मेरे को बता दो इमानदारी से तो ज्ञानीराम कहता है कि दिया है तो गजराज द्वारा कहा जाता है कि आग नही दिया है तो कोई दिक्कत नही उसको देगें हम अपना काम कराओ तो ज्ञानीराम कहता है कि मैने दे दिये फिर गजराज कहता है कि मतलब उससे पांच नही लाओगे तो ज्ञानीराम द्वारा कहा जाता है कि पांच तो लावुंगा पर मैने घी वगैरहा मे खर्च किये है वो काटुंगा साढे चार लावुंगा तो गजराज द्वारा कहा जाता है कि हां ला दे फिर ज्ञानीराम बाबा कहता है कि तुझे मेरी मिसकॉल विसकॉल सब कैन्सील करनी पडेगी तो गजराज कहता है कि वो तो मैं सब केन्सिल कर दुंगा मेरी बात सुण बाबा उसके पास चलो पांच भी मत लो उसको दो लाख रूपये और दे दो और मेरा काम करा दो इस पर ज्ञानीराम कहता है कि आज मैं फिर गया था तो एसडीएम के पास तो उसने बोला कि उसको बुलाओ और एक आदमी वो भी भेज देगा पैसे लेकर । इस पर गजराज कहता है कि भई मै तो ये कह रहा हूं कि नोट हटावा दो मेरे पांच के अलावा एक लाख और दे दुंगा और जो भी मेरे पास रिकार्डिंग है इमानदारी से मेरे मां बाप की कसम मिटा दुंगा तो ज्ञानीराम कहता है कि कल मिटा देना दस बजे मेरे मैरिज होम आ जाना फिर गजराज कहता है कि सारी आपके सामने मिटा दुंगा कोई दिक्कत नही है एक लाख रूपये और दे दु तो ज्ञानीराम कहता है कि तेरी समझ मे नही आयी लाने दे अभी तो बाकी बाद मे देखेगें तो गजराज कहता है कि एसडीएम का फोन आया था क्या तो ज्ञानीराम कहता है कि एसडीएम का भी आया था और कह रहा था निपटारा करो तो गजराज कहता है कि भई नौकरी करो मेरा क्या लेना देणा मै सब मिटा दुंगा तो ज्ञानीराम कहता है कि तु दस बजे आ जाना राजाराम को भी बुला लुंगा फिर गजराज कहता है कि मैने तो एसडीएम साहब को भी लिखा था मेरे छोटे भाई के बराबर हो आप मै किसी के पेट पर लात नही मारूंगा जिस पर ज्ञानीराम कहता है कि ठीक है उनको बता देगे राजाराम को आप ले आना सुबह प्लाट पर आ जाना। 11दिनांक 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें ज्ञानीराम बाबा राजाराम को कहता है कि कल साहब (एसडीएम साहब) ने दो आदमी भेजे थे अपने पैसे ले लो वो दे रखे थे ना पांच लाख उनकी कह रहे है ले लो दो आदमी भेजे थे उस रोज आया था एक तो वो एक और था एसडीएम साहब ने भेजे न्यू कहा अपने पैसे ले पांच लाख रूपये तो अब बताओ कितने ले यु कही कि दिक्कत क्या है फिर राजाराम ने कहा कि ये दिक्कत है कि वो(गजराज) कभी खेरिया का फोन करा रहा है कभी भम्बड का फोन करा रहा है कभी एन्टी करप्शन कभी कहां जा रहा है कभी कहां जा रहा है तो कितना लेवु उनसे तो ज्ञानीराम कहता है कि वैसे तो पांच देणे है मेरे लगे 36 किलो घी के वो तो काटुंगा गजराज भी कह रहा था काट लो पच्चास हजार काट लेगे साढे चार दे देगें तो राजाराम कहता है कि अच्छा तो उसको साढे चार दे दे तो ज्ञानीराम कहता है कि फोन वोन का तो डिलीट करावुंगा ये एन्टी करप्शन मे भी गया था सारे डोल आया और एसडीएम साहब के पास भी फोन कर दिया।12. दिनांक 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल

नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें ज्ञानीराम गजराज से कहता है तु आया नही तो गजराज कहता है कि बाबा आ रहा हूं नहा के निकल रहा हूं एसडीएम साहब का आदमी आ गया क्या पैसे लेके तो ज्ञानीराम कहता है कि वो नही आये अभी आ जायेगें। 13. दिनांक 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व परिवादी गजराज सिंह यादव (मोबाईल नम्बर 9799265858 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें गजराज ज्ञानीराम से कहता है कि हाथ पे हाथ नही दिख रहा टपुकडा आ गया आ रहा हूं, एसडीएम का आदमी आ गया क्या पैसे लेके तो ज्ञानीराम कहता है कि अभी नही आया फिर गजराज कहता है कि बुला लो दस पन्द्रह मिनट मे आ रहा हूं । 14. दिनांक 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें परिवादी गजराज के अब तक नही आने और गजराज को गन्दा आदमी बताने तथा एसडीएम को सीधा साधा आदमी बताकर पैसे वापस देने तथा गजराज के द्वारा बाबा व गजराज से पैसे पांच लाख रूपये लेने की हां भराने की बात और एन्टीकरप्शन मे शिकायत और रिकॉर्डिंग होने की बाते होती है इन्ही बातों मे एक अन्य व्यक्ति की भी वार्ता है जो पुछता है कि ये (परिवादी गजराज) कब सम्पर्क मे आया तो राजाराम खानपुर से सम्पर्क मे आने की बात कहता है और कहता है कि मैने उनसे कहा था मै पुछ लुंगा तेरे होने लायक काम होगा तो हो जायेगा पैसा लगेगा तो दे देना वो क्या है कि वहमी ज्यादा है रोज कभी वकील से बात करता है कभी कहां बात करता है फैसला इसके पक्ष मे लिख गया और जो फीस वाली बात थी पच्चीस के हमने बारह करा दिये और उसमे से ढेला नही दिया कुछ कम बत्ती कर देता तो हो जाता ये मुर्ख आदमी है बदनाम कर रहा है एन्टीकरप्शन मे धक्का खा आया और ये गाडी मे उतरकर अन्दर गया देके आया और फिर उल्टा आया अब ये कहता है कि मेरे सामने बैठ कर हां भरो पैसा पहुंच गया ये गडबड कर रहा है हां कर ली तो पैसे दे के आ आधे पैसे की तो। अब ये कहां जायेगा अपील मे जायेगा वकील चाहे कुछ भी कह दे लेकिन अधिकारी आपस मे बात रखते है ये काम नही करना है खारीज करो अपील खारीज हो जायेगी इसकी तो पैसा भरना पडेगा यही तो अपील करेगा ये साहब पहले खातेदारी थी मेरी अब गैर खातेदारी आने से ये फीस गलत चार्ज लागु किया अधिकारी खारीज कर देगा वो अपनी बात से पिटा है धमका दिया मैने।15. दिनांक 26.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें राजाराम ज्ञानीराम से कहता है कि गई वो बिमारी (गजराज) मिल गया क्या पैसा ज्ञानी कहता है कि हां फिर राजाराम कहता है कि पच्चास तो काटा ना तो ज्ञानी कहता है कि नही काटने दिया उसने नही काटने दिया उसको साढे चार लाख दिया पच्चास और मांग रहा है फिर राजाराम कहता है कि नही नही साढे चार दे दिये पच्चास वच्चास कुछ नही देना साढे चार दे दिये बहुत है तु नही आये तो मैं इधर से कहुं मै कहु इधर से आने की कोई जरूरत नही है फिर ज्ञानीराम कहता है कि वो तो ठीक है पर वो पच्चास की हां मकडावा के बिल्लु ने भर ली कि मैं दुंगा पच्चास और इस पर राजाराम कहता है कि भई बहुत गन्दा आदमी है मैं आपसे माफी मांगता हूं मेरी वजह से तकलीफ पाई फिर ज्ञानीराम कहता है कि पांच छः लोगो को साथ लाया था भभड, बलवन्त, दयाराम मास्टर को साथ लाया था और राजाराम और ज्ञानीराम गजराज के बारे मे आपस मे बात करते है कि ये बहुत गन्दा आदमी है झुठा आदमी है और राजाराम कहता है कि अब उसको पच्चास मत देना उसको ऐसे ही घुमने दो कहो मेरे खर्च हो गये फिर ज्ञानीराम कहता है कि मैने तो कह दी पर उस बिल्लु ने हां भर दी और बिल्लु को और विक्रम को देने से मना कर देना। 16. दिनांक 28.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता जिसमें ज्ञानीराम सब्जी वाले के यहां आने की बात करता है।17. दिनांक 28.01.2024 को ज्ञानीराम बाबा (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) व राजाराम (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) के मध्य वार्ता हुई जिसमें ज्ञानीराम व राजाराम परिवादी गजराज को गन्दा और झुठा आदमी होने की बात कहते है और कहते है कि परिवादी गजराज एन्टीकरप्शन तक जा आया और इसलिए हमसे गवाही दिलाना चाह रहा था कि हमने पैसे लिये है और ये हमको भी दलाली मे मुल्जिम बनवाना चाह रहा है वो तो एसडीएम साहब के पास दीपचंद का फोन आ गया तब उन्होने ये सोच करके कि ये बिमारी काटी पर वो अधिकारी इसकी कागजो में हालत खराब कर देगा अफसर उसके जानकार नही है क्या। 18. दिनांक 26.01.2024 को विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक) व बलवन्त सिंह उर्फ बिल्लु (मोबाईल नम्बर 9001566363 धारक) के मध्य वार्ता हुई जिसमें विक्रम बिल्लू को आज मामला साटऑउट करने के लिए कहता है तो बिल्लू कहता है कल की कही है साहब ने तो विक्रम कहता है आज कर देंगे। 19. दिनांक 26.01.2024 को विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक) व बलवन्त सिंह उर्फ बिल्लु (मोबाईल नम्बर 9001566363 धारक) के मध्य वार्ता हुई जिसमें बिल्लु विक्रम को 10.30 बजे के लिए कहता है और विक्रम कहता है कि मैं भी आवुं क्या तो बिल्लु कहता है कि आ जा इस पर विक्रम बिल्लु के पास आने की बात कहता है और विक्रम कहता है कि राजाराम को भी बुलाया था तो उसने कहा कि तुमको यहीं आना पडेगा। 20. दिनांक 26.01.2024 को विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक) व बलवन्त सिंह उर्फ बिल्लु (मोबाईल नम्बर 9001566363 धारक) के मध्य वार्ता हुई जिसमें विक्रम बिल्लु से कहता है कि कौन कौन है साईड मे होकर बात कर तो बिल्लु कहता है कि लॉकल ही तीन चार आदमी है भभ्भड सरंपच, रमेश का भाई एक बलवन्त सरंपच दादरी वाला, एक मास्टर खुडीवाल के इस पर विक्रम बिल्लु को बोलता है कि तु बन्टी को लेकर एक बार इधर आजा मोटरसाईकिल लेकर और कहता है कि तु दिमाग काम मे लिया कर इन कामों मे और फोन फान की क्या कही इस पर बिल्लु

कहता है कि फोन तो एक तरफ रख दिया इस पर विक्रम कहता है कि फोन नम्बर डिलीट विलीट करने की बात करी तो बिल्लु कहता है कि उसने कहा कि डिलीट तो जब करू पैसा दे दो और उसकी भावना से लग रहा है कि बाबा के खिलाफ तो कोई बात नही लेकिन पैसा लेकर भी अफसर के खिलाफ तो करेगा इस पर भभ्भड ने उसको कही कि तेरे को तेरे पैसे मिल गये बात खत्म कर तेरे को अफसर से क्या लेनादेना है फिर बोला ठीक है इस पर विक्रम कहता है कि फिर तो करेगा ये।21. दिनांक 26.01.2024 को विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक) व मनोज (मोबाईल नम्बर 9982764358 धारक) के मध्य वार्ता हुई जिसमें मनोज विक्रम को पुछता है कि निपट गया तुम्हारा तो विक्रम कहता है कि निपट गया मेरे पे तो मैसेज कर दिया था स्क्रिन शॉट नही लिया इस पर मनोज कहता है कि स्क्रिन शॉट लेना था डिलीट विलीट कर देना था ना तुम मे ये कमी है स्क्रिन शॉट लेना था तुम को फिर मनोज कहता है कि साहब के पास कर दिया, फिर विक्रम कहता है कि साहब के पास करवा देगें। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादी गजराज सिंह यादव पुत्र श्री रामजीवन निवासी ग्राम खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा का मुकदमा संख्या 46/2010 (बउनवान रामजीवन बनाम चन्द्रो) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम खैरथल तिजारा राजस्थान में विचाराधीन था जिसमें परिवादी गजराज सिंह यादव के पक्ष में फैसला कराने व परिवादी गजराज सिंह यादव व संबंधित को कास्तकार घोषित करते हुऐ फैसले में परिवादी व संबंधित के द्वारा विवादित भूमी के संबंध मे डीएलसी रेट से राशि जमा कराने का नोट नही लगाने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (खैरथल तिजारा) राजस्थान के उपखण्ड अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा आर.ए.एस. के लिए परिवादी गजराज सिंह यादव से दिनांक 12.12.2023 को राजाराम यादव (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक) व ज्ञानीराम बाबा निवासी बूढी बावल (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) द्वारा 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की गई तथा विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक), ज्ञानीराम बाबा, राजाराम द्वारा परिवादी के मुकदमें मे फैसला कराने के लिए एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के लिए प्रारम्भ में 12.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि की और मांग की गई तथा बाद में 12.50 लाख रूपये के स्थान पर इन तीनो के द्वारा एसडीएम कोटकासिम से बात होने की कहकर एसडीएम के लिए 8.50 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग की गई तथा परिवादी गजराज सिंह यादव को कहा गया कि यदि आप 8.50 लाख रूपये नही दोगे तो एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा आपके मुकदमे के फैसले में डीएलसी रेट से करीब 25 लाख रूपये की राशि जमा कराने का नोट लगा दिया जायेगा। परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा स्वंय के एसडीएम कोर्ट कोटकासिम मे विचाराधीन मुकदमा संख्या 46/2010 में फैसला कराने व इसमें डीएलसी रेट से पैसा जमा कराने का नोट नही लगाने के लिए एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के लिए पूर्व में 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि राजाराम व ज्ञानीराम बाबा को दिये जाने के उपरान्त पुनः ज्ञानीराम बाबा, राजाराम, विक्रम द्वारा एसडीएम के कहने पर 12.50 लाख रूपये की अतिरिक्त रिश्वत राशि मांगे जाने व इसके उपरान्त 12.50 लाख रूपये के स्थान पर 8.50 लाख रूपये रिश्वत राशि और मांगे जाने पर इन तीनों को 8.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिए एसडीएम से मिलने के लिए कहा गया परन्तु एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा ज्ञानीराम बाबा व राजाराम को परिवादी से मिलने से मना करने के उपरान्त परिवादी गजराज सिंह यादव को ज्ञात हुआ कि एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा उसके मुकदमा संख्या 46/2010 में फैसला दे दिया गया है और इस फैसले में राज्य सरकार के परिपत्रों(डीएलसी रेट से) के अनुसार राशि जमा कराने का नोट अंकित कर दिया गया है। इस पर परिवादी गजराज सिंह यादव ने ज्ञानीराम बाबा, राजाराम से एसडीएम कोटकासिम के लिए दी गई 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि एसडीएम से वापिस प्राप्त करने के लिए कहा गया तो राजाराम, ज्ञानीराम बाबा, विक्रम द्वारा परिवादी गजराज सिंह यादव से एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा आर.ए.एस. के लिए परिवादी गजराज सिंह यादव के मुकदमे मे फैसला कराने के लिए ली गई रिश्वत राशि 5 लाख रूपये में से 4.50 लाख रूपये परिवादी गजराज सिंह यादव को दिनांक 26.01.2024 को बिल्लु उर्फ बलवन्त यादव निवासी मकडावा (मोबाईल नम्बर 9001566363) के माध्यम से वापिस लोटाई गई। इस प्रकार उपरोक्त 1. श्री ज्ञानीराम बाबा निवासी बूढी बावल (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) 2. श्री राजाराम यादव (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक), 3. श्री विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक), के द्वारा आपराधिक कृत्य करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि श्री रामकिशोर मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा के पद पर पदस्थापित है जिनके न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में परिवादी गजराज सिंह यादव का प्रकरण संख्या 46/2010 विचाराधीन है जिसमे परिवादी गजराज सिंह यादव व उनके परिजन वादीगण है। उक्त प्रकरण में फैसला कराने के लिए उपरोक्त राजाराम, ज्ञानीराम बाबा द्वारा 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि दिनांक 12.12.2023 को प्रारम्भ में परिवादी से एसडीएम के लिए प्राप्त की तथा इसके उपरान्त परिवादी द्वारा ज्ञानीराम बाबा की उपस्थिति में एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा 12.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि की अतिरिक्त मांग करना व यह राशि विक्रम को देने के लिए कहने के तथ्य दिनांक 14.12.2023 को विक्रम द्वारा परिवादी गजराज सिंह यादव को कॉल करके एसडीएम साहब द्वारा इस रिश्वत राशि के बारे मे पूछने के तथ्य (जो ट्रांसक्रिप्ट पर उपलब्ध है) से तथा इसके उपरान्त परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा ज्ञानीराम बाबा व राजाराम से 12.50 लाख रूपये की अतिरिक्त रिश्वत राशि (5 लाख के अलावा) जो एसडीएम कोटकासिम के द्वारा मांगी गई के संबंध मे मिलकर

कम कराने व अपने भतीजे से रूबरू कराने के लिए कहने पर ज्ञानीराम बाबा व राजाराम द्वारा एसडीएम से बात होने तथा रिश्वत राशि एसडीएम द्वारा 12.50 लाख रूपये से कम करके 8.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग करना बताया गया एवं यदि परिवादी द्वारा 8.50 लाख रूपये रिश्वत राशि नही दी गई तो एसडीएम रामकिशोर मीणा द्वारा परिवादी के प्रकरण में डीएलसी रेट का नोट लगाने की बात कहने पर परिवादी गजराज द्वारा 8.50 लाख रूपये की अतिरिक्त रिश्वत राशि के लिए स्वंय के भाई/भतीजे को एसडीएम से रूबरू कराने के लिए कहने पर ज्ञानीराम बाबा व राजाराम द्वारा रामकिशोर मीणा से बात होना व परिवादी गजराज तथा उसके भतीजे को दिनांक 21.12.2023 को एसडीएम रामकिशोर मीणा से मिलने के लिए बुलाया गया तथा ज्ञानीराम बाबा परिवादी व उसके भतीजे को कोटकासिम में एसडीएम निवास के बाहर लेकर गया तथा स्वंय ज्ञानीराम पहले एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के सरकारी निवास पर गया तथा वापिस आकर परिवादी गजराज को बताया कि एसडीएम ने मिलने से मना कर दिया है और अगर आप 8.50 लाख रूपये नही दोगे तो एसडीएम साहब ने आपके मुकदमें में फैसला तो लिखा दिया पर 8.50 लाख रूपये नही देने पर आपके फैसले में डीएलसी रेट से पैसा जमा कराने का नोट लगा देगें, उपरोक्त समस्त तथ्य पत्रावली के रनिंग नोट व ट्रांसक्रिप्ट पर उपलब्ध है। इसके उपरान्त परिवादी गजराज सिंह यादव को ज्ञात हुआ कि उसके मुकदमें का फैसला एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा किया जा चुका है तथा एसडीएम को उसकी मांग के अनुसार 8.50 लाख रूपये ज्ञानीराम बाबा, राजाराम, विक्रम के माध्यम से नही भिजवाने के कारण मुकदमा संख्या 46/2010 में दिये गये फैसले में परिवादी व उससे संबंधित को कास्तकार घोषित करते हुऐ राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व सास्ती राजकोष में जमा कराने का उल्लेख किया गया है। परिवादी द्वारा इस फैसले की प्रस्तुत फोटोप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा द्वारा दिनांक 18.12.2023 को परिवादी गजराज सिंह यादव तथा संबंधित को कास्तकार घोषित किया गया है एवं इन्हे राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व सास्ती राजकोष में जमा कराने का उल्लेख किया गया है। उक्त फैसले की पुस्त पर प्रतिलीपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 30.01.2024 व प्रतिलिपी देने की तिथि 01.02.2024 अंकित है। परिवादी गजराज सिंह यादव को एसडीएम द्वारा फैसले में डीएलसी रेट का नोट अंकित करने के तथ्य ज्ञात होने पर उसके द्वारा ज्ञानीराम बाबा व राजाराम को इस फैसले के लिए एसडीएम कोटकासिम के लिए दी गई 5 लाख रूप्ये की रिश्वत राशि एसडीएम से वापिस दिलाने के लिए कई बार वार्ताएं की गई जिनमें ज्ञानीराम बाबा व राजाराम द्वारा एसडीएम के लिए 5 लाख रूपये रिश्वत लेने व यह राशि वापिस दिलाने के लिए एसडीएम रामकिशोर मीणा से बात होने के तथ्य प्रकरण की ट्रांसक्रिप्ट पर दर्ज है। परिवादी द्वारा ज्ञानीराम बाबा व राजाराम से 5 लाख रूपये एसडीएम से वापिस दिलाने की कई बार वार्ताएं की गई तथा इस संन्दर्भ में ज्ञानीराम व राजाराम के बीच में भी कई बार वार्ताएं है जिनमें ज्ञानीराम व राजाराम द्वारा परिवादी गजराज के द्वारा कोटकासिम क्षैत्र के कई लोगों को एसडीएम को 5 लाख रूपये देने और परिवादी का काम नही करने के तथ्य तथा एसीबी में शिकायत करने की बाते व परिवादी द्वारा इस संदर्भ में शिकायत करने के तथ्य वार्ताओं में दर्ज है जो ट्रांसक्रिप्ट पर उपलब्ध है। इस कारण राजाराम व ज्ञानीराम द्वारा परिवादी गजराज सिंह यादव को 5 लाख रूपये एसडीएम से दिलाने के लिए मना कर दिया गया तो परिवादी गजराज सिंह यादव द्वारा दिनांक 24.01.2024 को एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा के मोबाईल पर कॉल करके कहा गया कि एसडीएम साहब मैं गजराज सिंह बोल रहा हूं खानपुर से मैने मेरे खानपुर वाले केस में 5 लाख रूपये दिये है आपको इन्तजार मे बैठा हूं मेरा पैसा वापिस दो इस पर एसडीएम रामकिशोर मीणा ने परिवादी को गाली देते हुऐ फोन काट दिया तथा इस संन्दर्भ मे परिवादी द्वारा एसडीएम रामकिशोर मीणा को वाटसअप मैसेज करना भी बताया, उपरोक्त तथ्य पत्रावली के रनिंग नोट व ट्रांसक्रिप्ट पर दर्ज है। इसके उपरान्त विक्रम द्वारा बिल्लु उर्फ बलवन्त यादव के माध्यम से राजाराम और ज्ञानीराम बाबा की परिवादी गजराज सिंह यादव से वार्ता कराकर उनकी उपस्थिति में परिवादी गजराज सिंह यादव को पूर्व मे ली गई 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि में 4.50 लाख रूप्ये दिनांक 26.01.2024 को लोटाई गई। उपरोक्त घटनाक्रम की वार्ताएं जो ट्रांसक्रिप्ट पर दर्ज है में यह रिश्वत राशि एसडीएम कोटकासिम के कहने पर लौटाना व इस संन्दर्भ में परिवादी गजराज के मोबाईल में दर्ज रिकॉर्डिंग मैसेज डिलीट कराने व समस्त तथ्य एसडीएम को बताने की वार्ताएं है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों से परिवादी गजराज सिंह यादव के एसडीएम कोर्ट कोटकासिम में विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/2010 में एसडीएम कोटकासिम रामकिशोर मीणा आरएएस द्वारा परिवादी के पक्ष मे फैसला करने व फैसले मे डीएलसी रेट का नोट नही लगाने के लिए पूर्व मे 5 लाख रूपये रिश्वत राशि ज्ञानीराम बाबा, राजाराम के द्वारा प्राप्त करने व इसके उपरान्त 12.50 लाख रूपये की अतिरिक्त रिश्वत राशि विक्रम के माध्यम से मांग करने व बाद में 8.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने पर 8.50 लाख रूपये प्राप्त नही होने पर परिवादी के फैसले में डीएलसी रेट का नोट अंकित करते हुये फैसला देना व परिवादी गजराज सिंह यादव से पूर्व में ली गई 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि में 4.50 लाख रूपये लौटाये जाने के अवैध परितोषण प्राप्त करने के आपराधिक षंडयत्र में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई जाती है।इस प्रकार उपरोक्त 1. श्री ज्ञानीराम बाबा निवासी बूढी बावल (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) 2. श्री राजाराम यादव (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक), 3. श्री विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक), 4. श्री रामकिशोर मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा के विरूद्व धारा 7, 7ए 12, पीसी एक्ट

1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर इनके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद् करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है। (अभिषेक पारीक) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर–द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1 श्री ज्ञानीराम बाबा निवासी बूढी बावल (मोबाईल नम्बर 7357770725 धारक) 2. श्री राजाराम यादव (मोबाईल नम्बर 9636496217 धारक), 3. श्री विक्रम सिंह (मोबाईल नम्बर 9772138166 धारक), 4.श्री रामकिशोर मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वितीय हाल भिवाडी को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 95 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांक 364-67 दिनांक 07.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 शासन उप सचिव कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/05/2024 13:04:55

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1939				
2	Male	1969				
3	Male	1989				
4	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)